

an>

Title: Papers laid on the Table of the House by Members/Ministers.

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फगन सिंह कुलस्ते): अध्यक्ष महोदया, मैं श्री जगत प्रकाश नड्डा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर प्रस्तुत करता हूँ:

1. जनसंख्या स्थिरता कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6597/16/17]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council of Homoeopathy, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council of Homoeopathy, New Delhi, for the year 2015-2016.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6598/16/17]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi, for the year 2015-2016.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 6599/16/17]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Siddha, Chennai, for the year 2015-2016.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Siddha, Chennai, for the year 2015-2016, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Siddha, Chennai, for the year 2015-2016.
- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 6600/16/17]

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Naturopathy, Pune, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Naturopathy, Pune, for the year 2015-2016.
- (8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 6601/16/17]

- (9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the

- (10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 6602/16/17]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1)(एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6603/16/17]

(2) 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इलाहाबाद देहाती बैंक, ग़ौनगर के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 6604/16/17]

(3) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 49 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता) विनियम, 2017, जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 86(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6605/16/17]

(4) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 49 की उपधारा (2ख) के अंतर्गत जारी ऐसे रिजॉलन से पूर्व की गई या करने के लिए छोड़ दी गई चीजों के बारे में के सिवाय भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता) नियम, 1972, को निरस्त करने के बारे में हैं, जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 85(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6606/16/17]

(5) स्वापक ओषधि और मनःपूजावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत स्वापक ओषधि और मनःपूजावी पदार्थ (पहला संशोधन) नियम, 2017 जो 20 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 61(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 6607/16/17]

(6) अधिसूचना सं. का.आ. 3568(अ) जो 28 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 1 दिसम्बर, 2016 की तिथि ऐसी तिथि के रूप में नियुक्त की गई थी जिस दिन रण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) निरसन अधिनियम, 2003 के उपबंध उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (3) के अधीन लागू होना है, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6608/16/17]

(7) धन-शोधन अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत धन-शोधन (निरसन) संशोधन नियम, 2016 जो 6 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1116(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 6609/16/17]

(8) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 109(अ) जो 7 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 8 अगस्त, 2016 की अधिसूचना सं. 44/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) में कुछ एक संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 110(अ) जो 7 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 17 अगस्त, 2016 की अधिसूचना सं. 45/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) में कुछ एक संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 143(अ) जो 17 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपादन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के पदाधिकारी द्वारा संवाचित प्रतिपादन जॉट के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सिमतेस ट्यूब, पाइप और तौड़, मिश्र या अमिश्र इस्पात चाहे ये अपने सहायक उपकरणों से युक्त हो या नहीं या बाह्य व्यास वाला कोल्ड रोल्ड हो के आयात पर अंतिम प्रतिपादन शुल्क के अधिरोपण की तारीख अर्थात् 17 मई, 2016 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 6610/16/17]

(9) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) 13 अगस्त, 1993 की अधिसूचना संख्या 153/93-सी.शु. जो सा.का.नि. 65(अ), 20 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो अधिसूचना में कतिपय संशोधन करने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 96/2008-सी.शु. जो सा.का.नि. 71(अ), 27 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो अधिसूचना में कतिपय संशोधन करने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या 27/2011-सी.शु. जो सा.का.नि. 87(अ), 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो अधिसूचना में कतिपय संशोधन करने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 21/2012-सी.शु. जो सा.का.नि. 88(अ), 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो अधिसूचना में कुछेक संशोधन करने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सा.का.नि. 89(अ), जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय (क) विद्युत उत्पादन हेतु इंजन सेल आधारित प्रणाली की प्रारंभिक स्थापना करने या प्रदर्शन प्रयोजनों के लिए और (ख) बायोगैस या बायो मिथेन या बाई प्रोडक्ट हाइड्रोजन पर संचालित प्रणालियों के संतुलन के लिए अपेक्षित मशीनरी की सभी मदों पर आधारभूत सीमा शुल्क को 10/7.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक कम करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी.शु. जो सा.का.नि. 90(अ), 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो अधिसूचना में कतिपय संशोधन करने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) एक्सपोर्ट मैनिफैस्ट (एक्सप्राट) अमेंडमेंट रेगुलेशन, 2016 जो 11 अगस्त, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 786(अ) के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) इम्पोर्ट मैनिफैस्ट (एक्सप्राट) अमेंडमेंट रेगुलेशन, 2016 जो 11 अगस्त, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 787(अ) के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) कस्टमस बैजेज डिवलरेशन (अमेंडमेंट) रेगुलेशन, 2015 जो 18 अगस्त, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 639(अ) के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) 2 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 12/97-सी.शु.,(एन.टी.) जो सा.का.नि. 181(अ), 18 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो अधिसूचना में कतिपय संशोधन करने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) 2 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 12/97-सी.शु.,(एन.टी.) जो सा.का.नि. 311(अ), 16 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो अधिसूचना में कतिपय संशोधन करने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) बिल आफ एंटी (इलेक्ट्रॉनिक डिवलरेशन) (अमेंडमेंट) रेगुलेशन, 2016 जो 1 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 393(अ) के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) सीमा शुल्क (सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सेवा प्रदान करने के लिए शुल्क) संशोधन विनियम, 2016 जो भारत के राजपत्र में 1 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1294(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) सा.का.नि. 462 (अ) जो 27 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 92, 93, 94, 95, 97 और 98 के उपबंधों से अनन्य रूप से तटीय वस्तुओं को ले जाने वाले जलयानों को छूट दी गई है, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पन्द्रह) सा.का.नि. 463 (अ) जो 27 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा आयातित वस्तुएं या निर्यात वस्तुएं, जैसी भी स्थिति हो, ले जाने वाले जलयानों द्वारा उपयोग किए गए बर्थ से संचालित अनन्य रूप से तटीय वस्तुओं को ले जाने वाले जलयानों को छूट दी गई है और ऐसे जलयानों के प्रभावी व्यक्ति या उसके अभिकर्ता जलयान के पहुंचने या प्रस्थान करने के पूर्व तटीय मैनिफैस्टो समुचित अधिकारी को देने, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सोलह) सा.का.नि. 461(अ) जो 27 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 2 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना सं. 12/97-सी.शु.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्रह) सीमा शुल्क (उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के विनिर्माण के लिए रियायती शुल्क दर पर वस्तुओं का आयात) दूसरा (संशोधन) नियम, 2016 जो 14 जुलाई, 2016 की अधिसूचना सं. का.आ. 2407(अ) के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अठारह) सा.का.नि. 821(अ) जो 26 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 16 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना सं. 78/2014-सी.शु.(एनटी) में

- कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उन्नीस) सीमा शुल्क क्षेत्रों में कार्गो की संभलाई (संशोधन) विनियम, 2016 जो 26 अगस्त, 2016 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 822(अ) के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बीस) सा.का.नि. 1006(अ) जो 25 अक्टूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 2 सितम्बर, 1996 की अधिसूचना सं. 66/1996-सी.शु. निरस्त किए गए हैं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इक्कीस) आयात शुल्क का अस्थगित संदाय नियम, 2016 जो 2 नवम्बर, 2016 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1037(अ) के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बाईस) सा.का.नि. 1038 (अ) जो 2 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा आयात शुल्क के अस्थगित संदाय करने के लिए एईओ (टियर-2) और एईओ (टियर-3) पर प्राधिकृत आर्थिक संचालक कार्यक्रम के अधीन प्रमाणित आयातकों को अनुमति देना है, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेईस) सा.का.नि. 1093(अ) जो 25 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 2 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना सं. 12/97-सी.शु.(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौबीस) कुश्चिप आयात और निर्यात (मंजूरी) संशोधन विनियम, 2016 जो 29 नवम्बर, 2016 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1099(अ) के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (10) उपर्युक्त मद संख्या (9) के (दस) से (चौबीस) तक में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6611/16/17]

- (11) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-
- (एक) सा.का.नि. 72(अ) जो 30 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 जो 30 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 73(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि. 100(अ) जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 6612/16/17]

- (12) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि. 91(अ) जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2005 की अधिसूचना संख्या 6/2005-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि. 92(अ) जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 1 जुलाई, 2008 की अधिसूचना संख्या 42/2008-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि. 93(अ), जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय (क) विद्युत उत्पादन हेतु इंजन सेल आधारित प्रणाली की प्रारंभिक स्थापना करने या पदार्थ प्रयोजनों के लिए और (ख) बायोमैस या बायो मिथेन या बाई प्रोडक्ट ड्राइड्रोजन पर संचालित प्रणालियों के संतुलन के लिए अपेक्षित मशीनरी की सभी मदों पर 6 प्रतिशत रियायती सीमा शुल्क/सीवी शुल्क को विनियमित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सा.का.नि. 94(अ) जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पाँच) सा.का.नि. 95(अ) जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 16/2010-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) संशोधन नियम, 2017 जो अधिसूचना सं. सा.का.नि. 96(अ) 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) चर्बनशील तंबाकू और अविनिर्मित तंबाकू पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) संशोधन नियम, 2017 जो अधिसूचना सं. सा.का.नि. 97(अ) 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सेनवेट क्रेडिट (संशोधन) नियम, 2017 जो अधिसूचना सं. सा.का.नि. 98(अ) 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2017 जो अधिसूचना सं. सा.का.नि. 99(अ) 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक

[Placed in Library, See No. LT 6613/16/17]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फगन सिंह कुलस्ते): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर प्रस्तुत करता हूँ:

- 1 (एक) भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 6614/16/17]

(3) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) औषधि और प्रसाधन सामग्री (पहला संशोधन) नियम, 2017 जो 17 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 41(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) औषधि और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 जो 19 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 56(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 6615/16/17]

(4) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) 14वां संशोधन विनियम, 2016 जो 3 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. पी. 15025/6/2004-पीएफएस/एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6616/16/17]

(5) अधिसूचना सं. एफ सं. 11-1/2015-आईएनसी जो 20 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित तथा जो भारतीय नर्सिंग परिषद के क्विंटिकल केयर पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंसी प्रोग्राम में नर्स प्रैक्टिसनर के पाठ्यक्रम और विनियमों के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6617/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (i) Review by the Government of the working of the Security Printing and Minting Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2015-2016.
- (ii) Annual Report of the Security Printing and Minting Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6618/16/17]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

- (i) The Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/016 in Gazette of India dated 30th November, 2016.
- (ii) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements)(Fourth Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/017 in Gazette of India dated 30th November, 2016.
- (iii) The Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts)(Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/021 in Gazette of India dated 30th November, 2016.

- (iv) The Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts)(Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/022 in Gazette of India dated 30th November, 2016.
- (v) The Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/024 in Gazette of India dated 15th December, 2016.
- (vi) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/029 in Gazette of India dated 15th February, 2017.
- (vii) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements)(Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/030 in Gazette of India dated 15th February, 2017.
- (viii) The Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/031 in Gazette of India dated 15th February, 2017.
- (ix) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities by Municipalities)(Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/032 in Gazette of India dated 15th February, 2017.
- (x) The Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries)(Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/023 in Gazette of India dated 8th December, 2016.
- (xi) The SEBI (Portfolio Managers)(Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/019 in Gazette of India dated 2nd January, 2017.
- (xii) The Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations)(Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/020 in Gazette of India dated 12th January, 2017.
- (xiii) The Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations)(Second Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/033 in Gazette of India dated 15th February, 2017.
- (xiv) The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants)(Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/034 in Gazette of India dated 15th February, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 6619/16/17]

12.03 hours

ASSENT TO BILLS